

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, 10 January, 2017/ 20 Pausha 1938 (Saka)

No. 86

COMMENCEMENT OF THE SIXTH PART OF THE FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATION CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the sixth part of fourth session of Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 17th January, 2017 at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SIXTH PART OF THE FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY:

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 17th and 18th January, 2017.

TIME OF SITTING:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the sixth part of fourth session will be received with immediate effect.

As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on 17th & 18th January, 2017.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SIXTH PART OF THE FOURTH SESSION (RULE 37):

For the sixth part of the fourth session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

Sl. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
	Administrative Reforms, Development, Education, Employment, Family Welfare, Food Safety, Higher Education, Home, Industries, Information Technology, Irrigation & Flood Control, Jail, Labour, Land and Building, Law Justice & Legislative Affairs, Medical & Public Health, PWD, Revenue, Training & Technical Education, Transport, Vigilance.	17 January 2017 Tuesday	11 January 2017 Wednesday	11 January 2017 Wednesday
2	Art, Culture & Language, Cooperative, DUSIB Election, Environment, Forest & Wildlife, Excise, Finance, Food & Supplies, General Admn. Deptt. (GAD), Gurudwara Administration and Elections, Information & Publicity, Planning, Power, Services, Social Welfare, Tourism, Trade & Taxes, Urban Development, Water, Welfare of SC/ST/OBCs/Minorities, Women & Child Development.	18 January 2017 Wednesday	11 January 2017 Wednesday	11 January 2017 Wednesday

Note:

- (1) A member may give notice of only five questions for a given day {Rule 36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii))}.
- (3) Members may kindly note that if notice of question is received after the prescribed deadline such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

- (4) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (5) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received.
- (6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (7) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (8) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure for further details.

SHORT NOTICE QUESTION:

Whenever a member desires to ask a short notice question he shall give not less than three clear days notice of such a question in writing to the Secretary. The Secretary will ordinarily obtain the orders of the Speaker regarding the admissibility of the question within 24 hours of its receipt.

The number of such priority given questions on the List of Business for the day shall not exceed three and not more than one question of any one member shall be placed therein.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 04.00 P.M. on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**
- (c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 17.01.2017 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 16.01.2017. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT THESE ARE KEPT SWITCHED OFF.

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

THE SIXTH PART OF FOURTH SESSION OF SIXTH ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	17 January, 17	Tuesday	Govt. Business
2.	18 January, 17	Wednesday	Govt. Business

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार, 10 जनवरी, 2017 / 20 पौष, 1938 (शक)

संख्या- 86

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के चौथे सत्र के छठे भाग का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा के चौथे सत्र का छठा भाग मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में प्रारंभ होगा।

चौथे सत्र के छठे भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें स्थायी तौर पर 17 जनवरी, 2017 एवं 18 जनवरी, 2017 के लिए निर्धारित की गई हैं।

विधान सभा की बैठकों का समय:

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

प्रश्नों की सूचनाएं :

छठी विधान सभा के चौथे सत्र के छठे भाग के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2017 को होगा।

चौथे सत्र के छठे भाग के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा चौथे सत्र के छठे भाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :-

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाए विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 03:00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05:00 बजे तक)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रशासनिक सुधार, विकास, शिक्षा, रोजगार, परिवार कल्याण,	17.01.2017 मंगलवार	11.01.2017 बुधवार	11.01.2017 बुधवार

	खाद्य सुरक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, गृह, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, कारागार, श्रम, भूमि एवं भवन, विधि न्याय एवं विधायी मामले, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, परिवहन, सतर्कता,			
2.	कला, संस्कृति एवं भाषा, सहकारिता, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, चुनाव, पर्यावरण वन एवं वन्यजीवन, आबकारी, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति, सामान्य प्रशासन विभाग, गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, सूचना एवं प्रचार, योजना, ऊर्जा, सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यटन, व्यापार एवं कर, शहरी विकास, जल (दिल्ली जल बोर्ड), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास	18.01.2017 बुधवार	11.01.2017 बुधवार	11.01.2017 बुधवार

टिप्पणी:-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए केवल 5 प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा (नियम-36(1))।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए (नियम-31(xxii))।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाए गए कॉलम-4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
4. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाए, वहाँ ऐसे प्रश्नों को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की स्वसत्यापित कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जाएंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं० 54 में दिए गए समयानुसार की जाएगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विवरणों के लिए प्रक्रिया नियमों के अध्याय VII का अवलोकन करें।

अल्प सूचना प्रश्न:

जब कोई सदस्य अल्प सूचना प्रश्न पूछना चाहे तो वह ऐसे प्रश्न की कम से कम पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्प सूचना के रूप में स्वीकार्यता पर उसकी प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे।

किसी दिन की कार्य सूची में ऐसी प्राथमिकता वाले प्रश्नों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी और इसमें किसी एक सदस्य के एक से अधिक प्रश्न को नहीं रखा जाएगा।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 04.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन दोपहर 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जाएगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से है :-

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा।
2. सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिए दी गई समझी जायेंगी।

- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो ऐसे नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने हेतु आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 17/01/2017 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 16/01/2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जाएगी और वे इसकी प्रकार से स्वीकार किए जाएंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जायेंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं और यह सुनिश्चित करें कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो खुशी से चिल्लाकर तालियां बजाए और न ही हूटिंग करे।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल, पेजर, आईपैड्स, टेबलेट, लैपटोप्स व अन्य संचार उपकरण एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

छठी विधान सभा के चौथे सत्र का छठा भाग

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

बैठक	तिथि	बैठक का दिन	विषय
01	17.01.2017	मंगलवार	सरकारी कार्य
02	18.01.2017	बुधवार	सरकारी कार्य